<table>
<tr><th colspan="2">बिहार विधान सभा से प्राप्त अल्प--सूचित प्रश्न</th></tr>
<tr><td>श्री अब्दुल बारी सिदिकी, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–09.03.2018 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07
दिनांक–10 जनवरी, 2018 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक " Purnia Teachers told to submit fake flood relief bills, 4 officers under scanner" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td><td>दिनेश चन्द्र यादव
माननीय मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।</td></tr>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>।1। क्या यह बात सही है कि गत वर्ष पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी अनुमंडल के चार प्रखंड यथा बायसी, बायसा, अमौर एवं डगरूआ बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुआ था;

।2। क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखंडों के बाढ़ पीड़ितों के बीच मुआवजे की राशि के वितरण में कई करोड़ रू० की अनियमितता की गई जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मुआवजा वितरण के कार्य में लगे शिक्षकों से जाली बिल तैयार करवाया गया था;

।3। यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार मुआवजे के भुगतान में करोड़ों रू० की राशि की हुई अनियमितता की जाँच कराकर कबतक दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</td><td>वर्ष 2017 में आयी बाढ़ के दौरान पूर्णियाँ जिला के डगरूआ अंचल में संचालित सामुदायिक रसोई से संबंधित भुगतान में पायी गयी अनियमित्ता की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा करायी गयी है। उक्त जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त किया गया है। प्रासंगिक जाँच प्रतिवेदन पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रासंगिक जाँच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को दिया गया है।</td></tr>
</table>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–03/वि0स0–अल्प0सू0–01/2018/............................./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1441–43 वि0स0 दिनांक–22.02.2018 के क्रम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में/संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–03/वि0स0–अल्प0सू0–01/2018/............................./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–03/वि0स0–अल्प0सू0–01/2018/...2684..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–26/9/18

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/9/18
सरकार के अवर सचिव

\PCS\pe-3\2017\Draft\Ans for Que No-A Su-07.docx